


सत्यमेव जयते

भारत का राजपत्र

The Gazette of India

असाधारण

EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (i)

PART II—Section 3—Sub-section (i)

प्राधिकार से प्रकाशित

PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 513]

नई दिल्ली, बुधवार, अक्टूबर 1, 2014/आश्विन 9, 1936

No. 513]

NEW DELHI, WEDNESDAY, OCTOBER 1, 2014/ASVINA 9, 1936

वित्त मंत्रालय

(आर्थिक कार्य विभाग)

अधिसूचना

नई दिल्ली, 23 सितम्बर, 2014

सा.का.नि. 705(अ).—केन्द्रीय सरकार, सरकारी बचत-पत्र अधिनियम, 1959 (1959 का 46) की धारा 12 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए और किसान विकास पत्र 1988 को अधिक्रान्त करते हुए, ऐसे अधिक्रान्त से पूर्व उन बातों के सिवाय जिन्हें किया गया है या करने का लोप किया गया है, निम्नलिखित नियम बनाती है, अर्थात् :—

1. संक्षिप्त नाम और प्रारंभ.—(1) इन नियमों का संक्षिप्त नाम किसान विकास पत्र नियम, 2014 है।

(2) ये राजपत्र में प्रकाशन की तारीख को प्रवृत्त होंगे।

2. परिभाषाएं.—इन नियमों में, जब तक कि संदर्भ से अन्यथा अपेक्षित न हो, -

(क) 'अधिनियम' से सरकारी बचत पत्र अधिनियम, 1959 (1959 का 46) अभिप्रेत है;

(ख) 'नकद' से भारतीय करेंसी में नकद अभिप्रेत है;

(ग) 'पत्र' से किसान विकास पत्र अभिप्रेत है;

(घ) प्ररूप से इन नियमों के साथ उपाबद्ध प्ररूप अभिप्रेत है;

(ङ) 'डाक घर' से भारत में कोई ऐसा विभागीय डाक घर अभिप्रेत है जो बचत बैंक का कार्य कर रहा है;

- (च) 'बैंक' से भारतीय स्टेट बैंक और इसके संबद्ध बैंकों की कोई शाखा, राष्ट्रीयकृत अथवा अन्य वाणिज्यिक बैंकों की विनिर्दिष्ट शाखा अभिप्रेत है; और जिन्हें लोक भविष्य निधि के लिए प्राधिकृत किया गया हो;
- (छ) उन शब्दों और पदों जो इसमें प्रयुक्त हैं और परिभाषित नहीं हैं, किन्तु डाक घर बचत-पत्र नियम, 1960 में परिभाषित हैं, के वही अर्थ होंगे जो उन नियमों में हैं।

3. डाक घर बचत-पत्र नियम, 1960 का लागू होना.—डाक घर बचत-पत्र नियम, 1960 के उपबंध, जहां तक हो सके, ऐसे विषयों के संबंध में लागू होंगे जिनके लिए इन नियमों में कोई उपबंध नहीं किया गया है।

4. पत्रों का अंकित मूल्य.—(1) किसान विकास पत्र 1,000 रूपए, 5,000 रूपए, 10,000 रूपए और 50,000 रूपए के अंकित मूल्यों में जारी किए जाएंगे।

5. पत्र का क्रय.—नियम 4 में विनिर्दिष्ट अंकित मूल्य वाले कितने ही पत्रों का क्रय किया जा सकेगा।

6. पत्रों के प्रकार और उनका जारी किया जाना.—(1) पत्र निम्नलिखित प्रकार के होंगे, अर्थात्:—

(क) एकल धारक प्रकार के पत्र;

(ख) संयुक्त 'क' प्रकार के पत्र; और

(ग) संयुक्त 'ख' प्रकार के पत्र।

(2) (क) एकल धारक प्रकार के पत्र वयस्क को, स्वयं उसके लिए या किसी अवयस्क की ओर से या किसी अवयस्क को जारी किए जा सकेंगे;

(ख) संयुक्त 'क' प्रकार के पत्र दो वयस्कों को संयुक्त रूप से जारी किए जा सकेंगे जो दोनों धारकों को संयुक्त रूप से या उत्तरजीवी को संदेय होंगे; और

(ग) संयुक्त 'ख' प्रकार के पत्र दो वयस्कों को संयुक्त रूप से जारी किए जा सकेंगे जो धारकों में से किसी को या उत्तरजीवी को संदेय होंगे।

7. पत्र के क्रय के लिए प्रक्रिया.—(1) कोई व्यक्ति या नियम 6 में विनिर्दिष्ट व्यक्ति जो पत्र का क्रय करना चाहता है, प्ररूप 'क' में एक आवेदन स्वयं अथवा अल्प बचत स्कीमों के किसी प्राधिकृत अभिकर्ता के माध्यम से किसी डाक घर या बैंक में प्रस्तुत करेगा।

(2) किसी पत्र के क्रय के लिए संदाय किसी डाक घर या बैंक में निम्नलिखित किसी रीति से किया जा सकेगा, अर्थात्:—

(i) नकद, या

(ii) स्थानीय रूप से निष्पादित चेक, संदाय आदेश या डिमांड-ड्राफ्ट जो डाकपाल के नाम में लिखा गया हो, द्वारा या

(iii) उसी डाक घर या बैंक में क्रेता के नाम में जमा बचत खाते से प्रत्याहरण के लिए पासबुक सहित सम्यक रूप से हस्ताक्षरित प्रत्याहरण प्ररूप या चेक प्रस्तुत करके।

8. पत्रों का जारी किया जाना.—(1) नियम 7 के अधीन संदाय किए जाने पर, तब के सिवाय जब संदाय किसी चेक, संदाय आदेश या डिमांड-ड्राफ्ट द्वारा किया जाता है, पत्र तत्काल जारी किया जाएगा और ऐसे पत्र के जारी किए जाने की तारीख संदाय की तारीख होगी।

(2) जहां किसी पत्र के क्रय करने के लिए संदाय चेक, संदाय आदेश या डिमांड-ड्राफ्ट द्वारा किया जाता है वहां पत्र, यथास्थिति, चेक, संदाय आदेश, डिमांड-ड्राफ्ट के आगमों के वसूल किए जाने से पहले जारी नहीं किया जाएगा और ऐसे पत्र की तारीख, यथास्थिति, चेक, संदाय आदेश या डिमांड-ड्राफ्ट के भुनाए जाने की तारीख होगी।

(3) यदि, किसी कारण से, पत्र तत्काल जारी नहीं किया जा सकता है तो क्रेता को अनंतिम रसीद दी जाएगी, जिसे बाद में देने पर पत्र जारी किया जा सकेगा और ऐसे मामले में पत्र की तारीख अनंतिम रसीद प्राप्ति की तारीख होगी।

9. डाक घर से बैंक में अंतरण और विलोमत.—(1) प्रमाणपत्र डाक घर या बैंक से, जहाँ वह पंजीकृत है, किसी अन्य डाक घर या बैंक को, धारक के अथवा धारकों के किसी भी डाक घर या बैंक में प्ररूप (ख) में आवेदन करके अंतरित किया जा सकेगा।

(2) ऐसा प्रत्येक आवेदन, प्रमाणपत्र के धारक अथवा धारकों द्वारा हस्ताक्षरित होगा, परंतु संयुक्त 'क' प्रकार के प्रमाणपत्र अथवा संयुक्त 'ख' प्रकार के प्रमाणपत्र के मामले में, आवेदन संयुक्त धारकों में से किसी एक द्वारा हस्ताक्षरित किया जा सकेगा यदि दूसरे धारक की मृत्यु हो जाती है।

10. एक व्यक्ति से दूसरे को प्रमाणपत्र का अंतरण.—(1) डाक घर या बैंक के अधिकारी को, लिखित में सहमति से, प्रमाणपत्र एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति को अंतरित किया जा सकेगा जैसाकि अधोलिखित सारणी में दर्शाया गया है (इसके बाद इन नियमों में इस अधिकारी को प्राधिकृत पोस्टमास्टर या बैंक अधिकारी कहा गया है)।

सारणी

वे मामले जिनमें अंतरण स्वीकृत किया जा सकता है	अंतरण की अनुमति प्रदान करने के लिए सक्षम अधिकारी का पदनाम
(क)	डाक घर का पोस्टमास्टर या बैंक शाखा का बैंक अधिकारी जहाँ प्रमाणपत्र पंजीकृत है।
i) मृत धारक के नाम से उसके उत्तराधिकारी को।	-वही-
ii) धारक से अदालत को अथवा अदालत के आदेशों के अंतर्गत किसी अन्य व्यक्ति को।	-वही-
iii) एकल धारक से संयुक्त धारकों के नामों को जिनमें से अंतरिती भी एक होगा।	-वही-
iv) संयुक्त धारकों से संयुक्त धारकों में से एक के नाम में।	-वही-
ख) एकल या संयुक्त धारकों से अन्य व्यक्ति को।	

(2) प्राधिकृत पोस्टमास्टर या बैंक अधिकारी, जैसाकि उप-नियम (1) में उल्लिखित है, प्रमाणपत्र के अंतरण की सहमति केवल तभी देगा यदि निम्नलिखित शर्तें पूरी हो जाती हैं, अर्थात् -

- (क) अंतरिती इन नियमों के अंतर्गत प्रमाणपत्र खरीदने का पात्र है;
- (ख) अंतरण प्रमाणपत्र की खरीद की तारीख से कम से कम एक वर्ष की अवधि समाप्त हो जाने के बाद किया जाता है अथवा जहाँ अंतरण ऐसी अवधि की समाप्ति से पहले मांगा जाता है, तो ऐसा अंतरण निम्नलिखित किसी एक श्रेणी के अंतर्गत आता है:-
 - (i) मृत धारक के उत्तराधिकारी/नामांकित व्यक्ति के नाम अंतरण;
 - (ii) धारक से अदालत को अथवा अदालत के आदेशों के अंतर्गत किसी अन्य व्यक्ति को अंतरण;

- (iii) नियम 11 के अनुसार अंतरण;
- (iv) संयुक्त धारकों में से एक की मृत्यु होने की स्थिति में, उत्तरजीवी के नाम में अंतरण।
- (ग) अंतरण के लिए आवेदन प्रपत्र ख में किया जाता है और प्रमाणपत्र के धारक या धारकों द्वारा हस्ताक्षरित किया जाता है:
- परन्तु संयुक्त 'क' प्रकार के प्रमाणपत्र या संयुक्त 'ख' प्रकार के प्रमाण पत्र के मामले में, आवेदन किसी एक धारक द्वारा हस्ताक्षर किया जा सकेगा, यदि उनमें से दूसरे की मृत्यु हो जाती है।
- (3) अवयस्क के जीवित रहने तक उसके द्वारा अथवा उसकी ओर से धारित प्रमाणपत्र के संबंध में किसी अंतरण की अनुमति नहीं दी जाएगी।
- (4) नियम 11 के अधीन किए जाने वाले अंतरण के सिवाय, अंतरण के प्रत्येक मामले में प्रमाणपत्र सम्यक रूप से निरस्त किया जाएगा और अंतरिती के नाम में नया प्रमाणपत्र जारी किया जाएगा और उस पर वही तारीख अंकित होगी जो अभ्यर्पित मूल प्रमाणपत्र पर थी।
- (5) इस नियम के अधीन, एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति को प्रमाणपत्र अंतरित करने की अनुमति दी जाएगी।

11. प्रमाण पत्र के वचन.—(1) अंतरणकर्ता और अंतरिती द्वारा प्रपत्र 'ख' में आवेदन किए जाने पर, पंजीकरण कार्यालय का डाकपाल अथवा बैंक अधिकारी किसी भी समय, निम्नलिखित को प्रतिभूति के रूप में कोई भी प्रमाणपत्र अंतरित करने की अनुमति दे सकेगा-

- (क) भारत का राष्ट्रपति अथवा राज्य के राज्यपाल अपनी आधिकारिक हैसियत से;
- (ख) सहकारी बैंक सहित भारतीय रिजर्व बैंक या कोई अनुसूचित बैंक या कोई सहकारी सोसाइटी।
- (ग) कोई निगम या कोई सरकारी कंपनी;
- (घ) कोई स्थानीय प्राधिकरण; और
- (ङ.) राष्ट्रीय आवास बैंक द्वारा अनुमोदित और केन्द्रीय सरकार द्वारा अधिसूचित कोई आवास वित्त कंपनी।

परन्तु इस उप नियम के तहत किसी अवयस्क की ओर से खरीदे गए प्रमाणपत्र के अंतरण की अनुमति नहीं दी जाएगी जब तक इस अधिनियम की धारा 5 के खंड (ख) के उपखंड (i) अथवा उपखंड (ii), जैसा भी मामला हो, में निर्दिष्ट अवयस्क के अभिभावक या संरक्षक, अवयस्क के लाभ के लिए इसकी अनुमति न दें।

(2) जब उप नियम (1) के अधीन प्रतिभूति के रूप में कोई प्रमाणपत्र अंतरित किया जाता है, पंजीकरण कार्यालय का डाकपाल अथवा बैंक अधिकारी, प्रमाणपत्र पर निम्नलिखित पृष्ठांकन करेगा, अर्थात्:—

‘.....को पुनः अंतरित’

12 नामांकन.—(1) उप नियम (2) से उप नियम (6) के उपबंधों का पालन किए जाने पर, किसी प्रमाणपत्र का एकल धारक अथवा संयुक्त धारक, प्रमाणपत्र के क्रय के समय प्ररूप 'ग' में आवश्यक विवरण भरकर, ऐसे किसी व्यक्ति को नामित कर सकेंगे, जो एकल धारक अथवा दोनों संयुक्त धारकों की मृत्यु की स्थिति में, प्रमाणपत्र और इस पर देय राशि के

संदाय का/की पात्र बन जाएगा/जाएगी। यदि प्रमाणपत्र के क्रय के समय पर यह नामांकन नहीं किया जाता है, तो यह उस कार्यालय, जहां प्रमाणपत्र पंजीकृत है, के डाकपाल अथवा बैंक अधिकारी को प्रपत्र 'ग' में आवेदन करके, प्रमाणपत्र के क्रय के बाद एकल धारक अथवा संयुक्त धारकों या संयुक्त धारकों में से जीवित व्यक्ति, जैसा भी मामला हो, द्वारा, किंतु परिपक्वता से पूर्व किया जा सकेगा।

- (2) अवयस्क के लिए अथवा उसकी ओर से आवेदित और धारित प्रमाणपत्र के संबंध में कोई नामांकन नहीं किया जाएगा।
- (3) इस नियम के अधीन प्रमाणपत्र के धारक या धारकों द्वारा किए गए नामांकन को प्ररूप 'घ' में आवेदन देकर निरस्त अथवा परिवर्तित किया जा सकेगा।
- (4) भिन्न-भिन्न तारीखों पर पंजीकृत प्रमाणपत्रों के संबंध में नामांकन, नामांकन निरस्त करने अथवा नामांकन में परिवर्तन के लिए पृथक आवेदन किया जाएगा।
- (5) नामांकन या नामांकन निरस्त करने या नामांकन में परिवर्तन उस तारीख से प्रभावी होगा जिस तारीख को इसे डाकघर में पंजीकृत किया गया है, जो प्रमाणपत्र पर अंकित की जाएगी।
- (6) पहली बार नामांकन के लिए कोई शुल्क नहीं लिया जाएगा परन्तु, इसके बाद किए जाने वाले नामांकन अथवा नामांकन निरस्त करने के लिए डाकघर अथवा बैंक द्वारा 20/- रुपये प्रति नामांकन/ मंसूखी वसूल किया जाएगा।

13. परिपक्वता के उपरांत ब्याज.—जहां नियम 16 के अधीन, ब्याज सहित, रकम की अदायगी देय हो जाती है किंतु इसका संदाय नहीं किया गया है, वहां, निम्नलिखित शर्तों पर, राशि की अदायगी की तारीख को देय राशि पर, ब्याज दिया जाएगा, अर्थात्:—

- (क) ब्याज, साधारण ब्याज होगा और इसकी गणना, डाकघर बचत खाते के लिए, एकल या संयुक्त प्रकार के खाते पर समय-समय पर लागू दर से की जाएगी;
- (ख) ब्याज के संदाय के प्रयोजन के लिए, एक माह से कम अवधि को नजरअंदाज कर दिया जाएगा; और
- (ग) ब्याज का संदाय, जमाकर्ता को देय राशि की अदायगी के समय एकमुश्त किया जाएगा,

14. खोए हुए या नष्ट पत्र का प्रतिस्थापन.—(1) यदि कोई पत्र खो जाता है, चोरी हो जाता है, नष्ट हो जाता है, विरूपित हो जाता है, तो उसका हकदार व्यक्ति जारी करने वाले डाकघर अथवा बैंक को पत्र की दूसरी प्रति जारी किए जाने के लिए आवेदन कर सकेगा।

- (2) जहां उप नियम (1) के अधीन कोई आवेदन, जारी करने वाले डाकघर अथवा बैंक से भिन्न किसी डाकघर अथवा बैंक को किया जाता है, वहां उक्त डाकघर अथवा बैंक ऐसा आवेदन, जारी करने वाले डाकघर अथवा बैंक को अग्रेषित करेगा।
- (3) उप नियम (1) के अधीन प्रत्येक आवेदन के साथ निम्नलिखित ब्यौरा लगाना होगा,- (क) पत्र का संख्यांक, रकम और तारीख हो तथा इसके खो जाने, चोरी होने, नष्ट, विकृत या विरूपित होने की परिस्थितियां दर्शाने वाला विवरण।

(ख) पहचान पर्ची, यदि कोई हो।

(4) यदि जारी करने वाले डाक घर के डाकपाल अथवा बैंक शाखा का अधिकारी पत्र के खोने, चोरी होने, नष्ट होने, विकृति या विरूपण के बारे में संतुष्ट हो जाता है तो वह दो जमानतियों अथवा बैंक की प्रत्याभूति सहित डाक विभाग या बैंक द्वारा अधिकथित प्ररूप में आवेदक का क्षतिपूर्ति बंधपत्र दिए जाने पर दूसरा पत्र जारी करेगा।

परन्तु विकृत या विरूपित प्रमाणपत्र के संबंध में आवेदन किए जाने पर, बिना किसी क्षतिपूर्ति बंधपत्र, प्रतिभूति अथवा प्रत्याभूति के, दूसरा पत्र जारी किया जा सकेगा यदि विकृत या विरूपित पत्र को अभ्यर्पित कर दिया गया हो और प्रमाणपत्र के मौलिक होने की पहचान कर ली गई हो।

(5) उप नियम (4) के अधीन जारी किया गया दूसरा प्रमाणपत्र सभी प्रयोजनों के लिए मूल पत्र के समतुल्य माना जाएगा, सिवाय तब कि जब यह जारी करने वाले डाकघर अथवा बैंक से भिन्न किसी अन्य डाकघर अथवा बैंक से पूर्व-सत्यापन के बिना, नहीं भुनाया जाएगा।

15. भुनाए जाने का स्थान.—प्रमाणपत्र उसके जारी करने वाले डाक घर अथवा बैंक से भुनाया जाएगा: परन्तु, प्रमाणपत्र किसी अन्य डाक घर अथवा बैंक से भुनाया जा सकेगा यदि उस डाक घर अथवा बैंक के प्रभारी अधिकारी प्रमाणपत्र जारी करने वाले डाक घर अथवा बैंक से सत्यापित किए जाने पर संतुष्ट हो जाते हैं कि भुनाए जाने के लिए प्रमाणपत्र को प्रस्तुत करने वाला व्यक्ति उसका हकदार है।

16. परिपक्व होने पर भुनाया जाना.—(1) किसी भी अंकित मूल्य के पत्र की परिपक्वता अवधि आठ वर्ष और चार महीने होगी जो पत्र जारी किए जाने की तारीख से प्रारंभ होगी।

(2) पत्र की परिपक्वता अवधि की समाप्ति के पश्चात किसी समय उसके भुनाए जाने पर संदेय रकम, जिसमें ब्याज सम्मिलित है, 1,000 रुपए के अंकित मूल्य के लिए 2,000 रुपए और किसी अन्य अंकित मूल्य के लिए आनुपातिक दर से होगी।

17. समयपूर्व भुनाया जाना.—(1) नियम 16 में अंतर्विष्ट किसी बात के होते हुए भी, किसी पत्र को, किसी भी समय, निम्नलिखित किसी परिस्थिति में समयपूर्व भुनाया जा सकेगा—

(क) धारक की, या संयुक्त धारकों की दशा में किसी धारक की मृत्यु होने पर;

(ख) ऐसे गिरवीदार द्वारा समपहरण पर जो राजपत्रित सरकारी अधिकारी है;

(ग) न्यायालय का आदेश होने पर।

(2) यदि कोई पत्र उप नियम (1) के अधीन भुनाया जाता है, तो डाक घर बचत खाता नियम, 1981 के अधीन खातों में जमा रकमों पर समय-समय पर लागू दर से ऐसे संपूरित महीनों, जिनके लिए पत्र धारित था, के लिए परिकलित साधारण ब्याज सहित, पत्र के अंकित मूल्य का संदाय किया जाएगा।

(3) नियम 16 में या उपनियम (1) में अंतर्विष्ट किसी बात के होते हुए भी, यदि कोई पत्र, पत्र की तारीख से ढाई वर्ष की समाप्ति के पश्चात किसी समय भुनाया जाता है, तो संदेय रकम, जिसमें ब्याज सम्मिलित है, 1000 रु. अंकित मूल्य के लिए अधोलिखित सारणी में विनिर्दिष्ट रूप में होगी और किसी अन्य अंकित मूल्य के लिए आनुपातिक दर में होगी:

पत्र के समयपूर्व भुनाए जाने वाली-1000 रुपए के अंकित मूल्य, राशि को दशानि वाला विवरण

राशि (रु.)

पश्चात	संदेय रकम
(1)	(2)
2 वर्ष और 6 मास, किन्तु 3 वर्ष से कम	1201
3 वर्ष किन्तु 3 वर्ष और मास 6 से कम	1246
3 वर्ष और 6 मास, किन्तु 4 वर्ष से कम	1293
4 वर्ष किन्तु 4 वर्ष और मास 6 से कम	1341
4 वर्ष और 6 मास, किन्तु 5 वर्ष से कम	1391
5 वर्ष किन्तु 5 वर्ष और 6 मास से कम	1443
5 वर्ष और 6 मास, किन्तु 6 वर्ष से कम	1497
6 वर्ष किन्तु 6 वर्ष और 6 मास से कम	1553
6 वर्ष और 6 मास, किन्तु 7 वर्ष से कम	1611
7 वर्ष किन्तु 7 वर्ष और 6 मास से कम	1671
7 वर्ष और 6 मास, किन्तु 8 वर्ष से कम	1733
8 वर्ष किन्तु पत्र की परिपक्वता से पहले	1798
पत्र की परिपक्वता पर	2000

18. पत्र का भुनाया जाना.—(1) किसी पत्र के अधीन देय रकम के प्राप्त करने का हकदार व्यक्ति, उसके भुनाए जाने पर, उसके पीछे संदाय प्राप्त करने के प्रमाण स्वरूप हस्ताक्षर करेगा।

(2) किसी ऐसे अवयस्क की ओर से जो अब वयस्क हो गया है, क्रय किए गए किसी पत्र की दशा में, पत्र पर स्वयं ऐसे व्यक्ति द्वारा हस्ताक्षर किए जाएंगे किन्तु उसके हस्ताक्षर ऐसे व्यक्ति द्वारा, जिसने यह उसकी ओर से क्रय किया है या ऐसे किसी अन्य व्यक्ति द्वारा जिसे डाकपाल या बैंक अधिकारी जानता है, अनुप्रमाणित किए जाएंगे।

19. भूल सुधार.—डाक परिमंडल का महाडाकपाल या बैंक का क्षेत्रीय या आंचलिक अधिकारी अपनी-अपनी अधिकारिता में, स्वप्रेरणा से या इन नियमों के अनुसरण में जारी किए गए पत्र में हितबद्ध किसी व्यक्ति द्वारा आवेदन किए जाने पर, उस पत्र की बाबत किसी लेखन या गणित संबंधी भूल का सुधार कर सकेगा। परन्तु, यह तब जब कि उससे सरकार को या किसी ऐसे व्यक्ति को कोई वित्तीय हानि नहीं होती है।

20. शिथिल करने की शक्ति—जहां केन्द्रीय सरकार का यह समाधान हो जाता है कि इन नियमों के किसी उपबंध के प्रवर्तन से, किसी पत्र के धारक या धारकों को असम्यक कष्ट होता है, वहां वह ऐसे कारणों से जो लेखबद्ध किए जाएंगे, उस उपबंध की अपेक्षाओं को ऐसे रीति से जो अधिनियम के उपबंधों से असंगत न हो, आदेश द्वारा शिथिल कर सकेगी।

प्ररूप क

(नियम 7(1) देखिए)

किसान विकास पत्र की खरीद के लिए आवेदन प्ररूप

क्रमांक

डाकघर/ बैंक

सेवा में,

डाकपाल/ शाखा प्रबंधक,

.....

मैं/हम, एतद्वारा, एकल/संयुक्त 'क'/ संयुक्त 'ख' प्रकार के किसान विकास पत्र के क्रय के लिए नकद अथवाबैंक पर आहरित दिनांकके
चैक/डिमांड ड्राफ्ट संख्यामेंरूपए (केवल
.....रूपए) प्रदान करता हूँ/ करते हैं।

(क) नामपुत्र/ पत्नी/ पुत्री.....और
पुत्र/ पत्नी/ पुत्री निवासी.....

(ख) अवयस्क के मामले में, जन्म- तिथि..... अवयस्क के
माता-पिता/ अभिभावक श्री/श्रीमती.....द्वारा भुनाने योग्य।

2. मैं, निम्न व्यक्ति (यों) को नामित करता हूँ, जो मेरी मृत्यु होने पर, भुगतान प्राप्त करेगा(करेंगे)।

क्रमांक	नामित व्यक्ति (यों) का/के नाम	पूरा पता	नामित अवयस्क की जन्म तिथि
1			
2			
3			

3. मैं/हम एतद्वारा किसान विकास पत्र नियमावली, 2014 का पालन करने को सहमत हूँ/हैं।

4. मैं/हम एतद्वारा अपनी पहचान और आवास के प्रमाण से संबंधित निम्नलिखित दस्तावेजों की प्रतियां प्रस्तुत करता हूँ/ करते हैं।

(क).....

(ख).....

(ग).....

(घ).....

5. प्रमाणपत्र, हमें/ हमारे एजेंट प्राधिकार नंबर को हस्ताक्षरित कर दिया जाए/दिए जाएं।

नामांकन के साक्षी के
हस्ताक्षर और पता

.....
.....
.....

निवेशक के हस्ताक्षर / अंगूठे का निशान

दिनांक.....
पता.....
.....

प्रमाणपत्र प्राप्त किया (किए)

जो लागू न हो, उसे काट दें।

निवेशक/ अधिकृत एजेंट के हस्ताक्षर

दिनांक.....

डाकघर/ बैंक द्वारा भरे जाने के लिए

प्रमाणपत्र का क्रमांक	निर्गमन मूल्य रू.....	नकदीकरण की तारीख	डाकपाल/बैंक अधिकारी के आद्याक्षर	टिप्पणी, जैसे अंतरण, दूसरा (डुप्लीकेट) जारी करना आदि, आद्याक्षर सहित
कुल				

1. किसान विकास प्रमाणपत्र दस्तावेज जिनका उपर्युक्त क्रमांक 4 पर उल्लेख किया गया है, प्राप्त हो गए हैं।

दिनांक:

डाकपाल के हस्ताक्षर

डाकपाल की गोल आकार की दिनांकित मुहर /

बैंक अधिकारी के हस्ताक्षर, पदनाम और मुहर

प्ररूप ख

[नियम 9(1), 10(2) (ग) देखिए]

डाकघर से बैंक और बैंक से डाकघर में प्रमाणपत्र के अंतरण हेतु आवेदन का प्ररूप

सेवा में,

डाकपाल/शाखा प्रबंधक,

.....
.....
.....

श्रीमान्,

मैं/हम डाकघर/बैंक द्वारा निर्गमित किसान विकास पत्र का/के धारक हूँ/हैं, जिसका ब्यौरा नीचे दिया गया है:-

1. क्रमांक
2. क्रय की तारीख
3. मूल्य वर्ग
4. पंजीकरण संख्या
5. क्रमांक.....
6. प्रमाणपत्र धारक का नाम

मैं / हम, आपसे आपके डाकघर/ बैंक से इस प्रमाणपत्र / इन प्रमाणपत्रों के यथाशीघ्र अंतरण का अनुरोध करता हूँ/करते हैं। उपर्युक्त प्रमाणपत्र(त्रों) की छायाप्रतियां, इस आवेदन के साथ संलग्न हैं।

मैं / हम, किसान विकास पत्र के लागू मानदंडों के अनुसार, निम्नलिखित दस्तावेज प्रस्तुत कर रहा हूँ/रहे हैं।

1. पहचान का प्रमाण
2. आवास का प्रमाण
3. पैन कार्ड की छायाप्रति (यदि राशि 50,000/- रूपए से अधिक है।)

प्रमाणपत्र धारक के नमूना हस्ताक्षर

1.
2.
3.

भवदीय,

.....
नाम

पता

.....

.....

प्ररूप ग

[नियम 12(1) देखिए]

(यह प्ररूप धारक (धारकों) द्वारा भरा जाएगा और कार्यालय के उस डाकघर/बैंक अधिकारी को प्रमाणपत्र के साथ प्रस्तुत किया जाएगा, जहां प्रमाणपत्र पंजीकृत है।)

सेवा में,

डाकपाल/शाखा प्रबंधक,

.....

किसान विकास पत्र नियमावली, 2014 के नियम 12 के तहत प्रावधान।

मैं/हम.....किसान विकास पत्र प्रमाणपत्र का/(के) धारक, जिसका/जिनका ब्यौरा नीचे दिया गया है, एतद्वारा नीचे दिए गए व्यक्तियों को नामित करते हैं, जो मेरी/हमारी मृत्यु होने पर, प्रमाणपत्र(त्रों) और सभी अन्य व्यक्तियों को छोड़कर इस/इन पर चुकाई जानी वाली राशि के भुगतान का/ के पात्र होगा/होंगे। मैं/ हम एतद्वारा घोषणा करता हूं/करते हैं कि मैंने/हमने इन प्रमाणपत्रों के संबंध में अभी तक कोई नामांकन नहीं किया है।

क्रमांक	नामित व्यक्ति (यों) का/के नाम	पूरा पता	नामित व्यक्ति की जन्म तिथि, अवयस्क के मामले में

2. चूंकि उपर्युक्त क्रमांक..... पर नामित व्यक्ति अवयस्क है/हैं, अतः मैं / हम श्री/श्रीमती/कुमारी
 (नाम और पूरा पता) को उस व्यक्ति के रूप में नियुक्त करता हूं/ करते हैं, जो नामित व्यक्ति (यों) के अवयस्क होने के दौरान, मेरी/हमारी मृत्यु होने पर, इस/इन पर देय राशि को प्राप्त करेगा/करेंगे।

3. नीचे वर्णित प्रमाणपत्र संलग्न हैं।

प्रमाणपत्र(त्रों) का/के क्रमांक	मूल्य वर्ग	जन्म तिथि	निर्गमन कार्यालय

भवदीय,
 प्रमाणपत्र धारक (कों) के हस्ताक्षर
 (अथवा, अंगूठे का निशान, यदि निरक्षर हों)

पता

.....

साक्षी -

1. नाम.....पता
2. नाम.....पता

टिप्पणी- प्रमाणपत्र धारक निरक्षर होने पर साक्षी ऐसे व्यक्ति होंगे जिनके हस्ताक्षर से डाकघर/बैंक परिचित हो।

नामांकन स्वीकार करने वाले डाकपाल/ बैंक अधिकारी का आदेश

डाकघर की दिनांकित मुहर/बैंक की मुहर

डाकपाल/बैंक अधिकारी के हस्ताक्षर

प्ररूप घ

[नियम 12(3) देखिए]

नामांकन को निरस्त करने अथवा परिवर्तन हेतु आवेदन का प्ररूप

(यह प्ररूप प्रमाण पत्र धारक (धारकों) द्वारा भरा जाएगा और कार्यालय के उस डाकघर/बैंक अधिकारी को प्रमाणपत्र के साथ प्रस्तुत किया जाएगा, जहां प्रमाणपत्र पंजीकृत है)।

सेवा में,

डाकपाल/शाखा प्रबंधक,

.....
.....

मैं/ हम किसान

विकास पत्र का/के धारक, जिनका ब्यौरा नीचे दिया गया है, एतद्वारा आपके कार्यालय के दिनांक

..... को संख्या के तहत पंजीकृत इन प्रमाणपत्र (त्रों) के संबंध में मेरे/हमारे द्वारा पूर्व में किए गए नामांकन को निरस्त करता हूँ/ करते हैं।

*निरस्त किए गए नामांकन के स्थान पर। मैं/ हम एतद्वारा नीचे उल्लिखित व्यक्ति(यों) को नामित करता हूँ/करते हैं जो मेरी/हमारी मृत्यु होने पर बचत प्रमाणपत्रों और अन्य सभी व्यक्तियों को छोड़कर, इस पर देय राशि के भुगतान हेतु पात्र होगा/होंगे।

क्रमांक	नामित व्यक्ति (यों) का/के नाम	पूरा पता	नामित व्यक्ति की जन्म तिथि, अवयस्क के मामले में

*केवल परिवर्तन के मामले में भरा जाए।

2. चूंकि उपर्युक्त क्रमांक..... पर नामित व्यक्ति(यों) नाबालिक है/हैं, अतः मैं / हम श्री/श्रीमती/कुमारी
 (नाम और पूरा पता) को उस व्यक्ति के रूप में नियुक्त करता हूं/ करते हैं, जो नामित व्यक्ति(यों) के अवयस्क होने के
 दौरान, मेरी/हमारी मृत्यु होने पर, इस/इन पर देय राशि को प्राप्त करेगा/करेंगे।

3. नीचे वर्णित प्रमाणपत्र संलग्न हैं।

प्रमाणपत्र(त्रों) का/के क्रमांक	मूल्य वर्ग	जन्म तिथि	निर्गमन कार्यालय

भवदीय,

पता

.....

धारक(कों) के हस्ताक्षर (अथवा, अंगूठे का निशान यदि निरक्षर हो)

साक्षी -

1. नाम.....पता

2. नाम.....पता

टिप्पणी- प्रमाणपत्र धारक निरक्षर होने पर साक्षी ऐसे व्यक्ति होंगे जिनके हस्ताक्षर से डाकघर/बैंक परिचित हो।

नामांकन स्वीकार करने वाले डाकपाल/ बैंक अधिकारी का आदेश

डाकघर की दिनांकित मुहर/बैंक की मुहर

डाकपाल/बैंक अधिकारी के हस्ताक्षर

[फा. सं. 2/4/2014-एनएस-II]

डॉ. रजत भार्गव, संयुक्त सचिव

MINISTRY OF FINANCE
(Department of Economic Affairs)

NOTIFICATION

New Delhi, the 23rd September, 2014

G.S.R. 705(E).—In exercise of the powers conferred by section 12 of the Government Savings Certificates Act, 1959 (46 of 1959) and in supersession of the Kisan Vikas Patra Rules, 1988 except as respects things done or omitted to be done before such supersession, the Central Government hereby makes the following rules, namely:—

1. Short title and commencement.—(1) These rules may be called the Kisan Vikas Patra Rules, 2014.

(2) They shall come into force on the day of their publication in the Official Gazette.

2. Definitions.—In these rules, unless the context otherwise requires, -

- (a) “Act” means the Government Savings Certificates Act, 1959 (46 of 1959);
- (b) “cash” means the cash in Indian currency;
- (c) “Certificate” means the Kisan Vikas Patra;
- (d) “Form” means a Form annexed to these rules;
- (e) “Post Office” means any departmental post office in India doing Savings Bank work;
- (f) “Bank” means any branch of State Bank of India and its associate banks, designated branches of Nationalised and other commercial banks, authorized for Public Provident Fund Scheme;
- (g) words and expressions used herein and not defined but defined in Post Office Savings Certificate Rules, 1960 shall have the meanings respectively assigned to them in those rules.

3. Application of Post Office Savings Certificate Rules, 1960.—The provisions of the Post Office Savings Certificate Rules, 1960 shall, so far as may be, apply in relation to matters for which no provision has been made in these rules.

4. Denomination of Certificates.—The Kisan Vikas Patra shall be issued in denominations of Rs. 1,000/-, Rs. 5,000/-, Rs. 10,000/- and Rs. 50,000/-.

5. Purchase of Certificate.—Any number of Certificates of the denominations specified in rule 4 may be purchased.

6. Type of Certificates and issue thereof.—(1) The Certificates shall be of the following types, namely :—

- (a) Single holder type Certificates;
 - (b) Joint ‘A’ type Certificates; and
 - (c) Joint ‘B’ type Certificates.
- (2) (a) A single holder type Certificate may be issued to – (a) an adult for himself or on behalf of a minor or to a minor;
- (b) A Joint ‘A’ type Certificate may be issued jointly to two adults payable to both holders jointly or to the survivor.
- (c) A Joint ‘B’ type Certificates may be issued jointly to two adults payable to either of the holders or to the survivor.

7. Procedure for purchase of Certificate.—(1) Any person or persons specified in rule 6, desiring to purchase a Certificate, shall present an application in a Form A either in person or through an authorised agent of the small savings schemes at a Post Office or Bank.

(2) Payment for the purchase of a Certificate may be made to a Post Office or Bank in any of the following modes, namely:—

- (i) by cash; or
- (ii) by locally executed cheque, pay order or demand draft drawn in favour of the Post Master; or
- (iii) by presenting a duly signed withdrawal form or cheque together with the passbook for withdrawal from Savings Account standing in credit of the purchaser at the same Post Office or Bank.

8. Issue of Certificates.—(1) On payment being made under rule 7, except where payment is made by a cheque, pay order or demand draft, a Certificate shall be issued immediately and the date of such Certificate shall be the date of payment.

(2) Where payment for the purchase of a Certificate is made by cheque, pay order or demand draft, the Certificate shall not be issued before the proceeds of the cheque, pay order or demand draft, as the case may be, are realised and the date of such Certificate shall be date of encashment of the cheque, pay order or demand draft, as the case may be.

(3) If, for any reason a Certificate cannot be issued immediately, a provisional receipt shall be given to the purchaser which may later be exchanged for a Certificate and in such a case the date of Certificate shall be the date of provisional receipt.

9. Transfer from Post Office to Bank and vice-versa.—(1) A Certificate may be transferred from a Post Office or Bank at which it stands registered, to any other Post Office or Bank to the holder or holders making an application in Form B either at Post Office or Bank.

(2) Every such application shall be signed by the holder or holders of the Certificate :

Provided that in the case of Joint 'A' type Certificate or Joint 'B' type Certificate, the application may be signed by one of the joint holders if the other is dead.

10. Transfer of Certificate from one person to another.—(1) A Certificate may be transferred from one person to another with the consent in writing to an officer of the Post Office or Bank as specified in the Table below (hereinafter referred to in these rules as authorised Post Master or Bank Officer) :-

TABLE

Cases in which transfer can be sanctioned	Designation of the Officer competent to grant permission for transfer
(1)	(2)
(a) (i) From the name of a deceased holder to his heir.	Post Master of the Post Office or Bank Officer of the branch, where the Certificates stands registered.
(ii) From a holder to a court of law or to any other person under the orders of court of law.	-do-
(iii) From a single holder to the names of joint holders of whom the transferee shall be one.	-do-
(iv) From Joint holders to the name of one of the joint holders.	-do-
(b) From Single or joint holders to another person.	-do-

(2) An authorised Post Master or Bank Officer referred to in sub-rule (1) shall give his consent to the transfer of a Certificate only if the following conditions are satisfied, namely:—

- (a) the transferee is eligible under these rules to purchase Certificates;
- (b) the transfer is made after the expiry of a period of at least one year from the date of purchase of the Certificate or where the transfer is sought before the expiry of such period, the transfer falls under any of the following categories, namely:—
 - (i) transfer in the name of the heir or nominee of the deceased holder;
 - (ii) transfer from a holder to a court of law or to any other person under the orders of the court of law;
 - (iii) transfer in accordance with rule 11;

- (iv) transfer in the name of the survivor in the event of death of one of the joint holders;
- (c) an application for transfer is made in Form B and is signed by the holder or holders of the Certificate:
- Provided that in the case of Joint 'A' type Certificate or a Joint 'B' type Certificate, the application may be signed by one of the holders, if the other is dead.
- (3) No transfer shall be permitted in respect of a Certificate held by or on behalf of a minor till the minor is alive.
- (4) In every case of transfer, other than a transfer under rule 11, the original Certificate shall be duly discharged and the new Certificate bearing the same date as that of the original Certificate surrendered shall be issued in the name of the transferee.
- (5) Transfer of Certificate from one person to another under this rule shall be permissible.

11. Pledging of Certificates.—(1) On an application being made in Form B by the transferor and the transferee, the Post Master or Bank Officer of the office of the registration may, at any time, permit the transfer of any Certificate as security to –

- (a) the President of India or Governor of a State in his official capacity;
- (b) the Reserve Bank of India or a Scheduled Bank or a Cooperative Society including a Cooperative Bank;
- (c) a Corporation or a Government company;
- (d) a local authority; and
- (e) a Housing Finance Company approved by the National Housing Bank and notified by the Central Government :

Provided that the transfer of a Certificate purchased on behalf of a minor shall not be permitted under this sub-rule unless the parent or the guardian of the minor referred to in sub-clause (i) or as the case may be, sub-clause (ii) of clause (b) of section 5 of the Act, for the benefit of the minor.

(2) When any Certificate is transferred as security under sub-rule (1), the Post Master or Bank Officer of the office of the registration shall make the following endorsement on the Certificate, namely:-

'Re-transferred to'

12. Nomination.—(1) Subject to the provisions of sub-rules (2) to (6), the single holder or joint holders of a Certificate may on filling necessary particulars in Form C at the time of purchasing the Certificate, nominate any person who, in the event of death of the single holder or both the joint holders, as the case may be, shall become entitled to the Certificate and to the payment of the amount due thereon and if such nomination is not made at the time of purchasing the Certificate, it may be made by the single holder, the joint holders or the surviving joint holder, as the case may be, at any time after the purchase of the Certificate but before its maturity, by means of an application in Form C to the Post Master or Bank Officer of the office at which the Certificate stands registered.

- (2) No nomination shall be made in respect of a Certificate applied for and held by or on behalf of a minor.
- (3) A nomination made by the holder or holders of a Certificate under this rule may be cancelled or varied by submitting an application in Form D.
- (4) Separate application for nomination, cancellation of nomination or variation of nomination shall be made in respect of Certificates registered on different dates.

(5) The nomination or cancellation of a nomination or variation of a nomination shall be effective from the date it is registered in the post office, which shall be noted on the Certificate.

(6) No fee shall be charged for the nominations made first time, but a fee of Rs. 20/- per subsequent nomination or cancellation shall be charged by the Post Office or Bank.

13. Post maturity interest.—Where repayment of the amount, inclusive of interest, under the rule 16 has become due but has not been made, interest shall be allowed on the amount due on the date of repayment of the amount subject to the following conditions, namely:—

(a) the interest shall be simple and shall be calculated at the rate applicable from time to time to Post Office Savings Accounts of the type of single or joint account;

(b) for the purpose of payment of interest, any part of the period which is less than one month shall be ignored;

(c) the interest shall be paid to the depositor in lump sum at the time of repayment of the amount due.

14. Replacement of lost or destroyed Certificate .- (1) If a Certificate is lost, stolen, destroyed, mutilated, the person entitled thereto may apply for the issue of a duplicate Certificate to the Post Office or Bank of issue.

(2) Where an application under sub-rule (1) has been made to a Post Office or Bank other than the Post Office or / Bank of issue, the said Post Office or Bank shall forward such application to the Post Office or Bank of issue.

(3) Every application under sub-rule (1) shall be accompanied by , -

(a) a statement showing particulars, such as number, amount and date of the Certificate and the circumstances of such loss, theft, destruction, mutilation or defacement;

(b) identity slip, if any.

(4) If the Post Master of the Post Office or Bank Officer of the branch of issue is satisfied as to the loss, theft, destruction, mutilation or defacement of the Certificate, he shall issue a duplicate Certificate on the applicant's furnishing an indemnity bond in the form laid down by the Department of Posts or Bank with two sureties or with a bank's guarantee:

Provided that where such application is made with respect to a Certificate mutilated or defaced, a duplicate Certificate may be issued without any such indemnity bond, surety or guarantee, if the Certificate mutilated or defaced is surrendered and the Certificate is capable of being identified as the one originally issued.

(5) A duplicate Certificate issued under sub-rule (4) shall be treated as equivalent to the original Certificate for all the purposes, except that it shall not be encashable at a Post Office or Bank other than the Post Office or Bank of issue without previous verification.

15. Place of encashment .- A Certificate shall be encashable at the Post Office or Bank of its Issue:

Provided that a Certificate may be encashed at any other Post Office or Bank if the Officer-in-Charge of that Post Office or Bank is satisfied on verification from the Post Office or Bank of issue that the person presenting the Certificate for encashment is entitled thereto.

16. Encashment on maturity.—(1) The maturity period of a Certificate of any denomination shall be eight years and four months commencing from the date of issue of the Certificate.

(2) The amount inclusive of interest, payable on encashment of a Certificate at any time after the expiry of its maturity period shall be Rs. 2000 for denomination of Rs.1000 and at proportionate rate for any other denomination.

17. Premature encashment.—(1) Notwithstanding anything contained in rule 16, a Certificate may be prematurely encashed any time under the following circumstances, namely :-

- (a) on the death of the holder or any of the holders in the case of a joint holder;
- (b) on forfeiture by a pledge being a Gazetted Government officer;
- (c) when ordered by a court of law.

(2) If a Certificate is encashed under sub-rule (1) face value of the Certificate, together with simple interest calculated at the rate applicable from time to time to accounts under Post Office Savings Account Rule, 1981 for the complete months for which the Certificate has been held, shall be payable.

(3) Notwithstanding anything contained in rule 16 or in sub-rule (1), if a Certificate is encashed any time after expiry of two years and six months from the date of issue of Certificate, the amount payable inclusive of interest shall be as specified in the Table below for denomination of Rs. 1000/- and at a proportionate rate for any other denomination :-

Table showing premature encashment value of Certificate – Denomination of Rs.1,000/-

(Amount in Rs.)

TABLE

After	Amount payable
(1)	(2)
2 and half years but less than 3 years	1201
3 years but less than 3 and half years	1246
3 and half years but less than 4 years	1293
4 years but less than 4 and half years	1341
4 and half years but less than 5 years	1391
5 years but less than 5 and half years	1443
5 and half years but less than 6 years	1497
6 years but less then 6 and half years	1553
6 and half years but less than 7 years .	1611
7 years but less than 7 and half years	1671
7 and half years but less than 8 years	1733
8 years but before the maturity of the Certificate	1798
On maturity of Certificate	2000

18. Discharge of Certificate.—(1) The person entitled to receive the amount due under a Certificate shall, on its encashment, sign on back thereof in token of having received the payment.

(2) In the case of a Certificate purchased on behalf of a minor who has since attained majority, the Certificate shall be signed by such a person himself or herself but his or her signature shall be attested either by the person who is known to the Post Master or Bank Officer.

19. Rectification of mistakes.—The Post Master General of a Postal Circle or the Regional or Zonal Manager of the Bank, in their respective jurisdictions, may either suo-motu or upon an application by any person interested in any Certificate issued in pursuance of these rules, rectify any clerical or arithmetical

mistakes with respect to that Certificate, provided that it does not involve any financial loss to the Government or to any such person.

20. Power to relax.—Where the Central Government is satisfied that the operation of any of the provisions of these rules causes undue hardship to the holder or holders of a Certificate, it may, by order, for reasons to be recorded in writing, relax the requirements of that provision in a manner not inconsistent with the provisions of the Act.

Form A

[See rule 7(1)]

FORM OF APPLICATION FOR PURCHASE OF KISAN VIKAS PATRA

Serial No

Post Office/Bank.....

To

The Post Master/Branch Manager,

.....

I/We hereby tender

Rs.....(Rupees..... only) in cash or by
cheque/demand draft No..... dated drawn on bank

..... for the purchase of Kisan Vikas
Patra of the type Single/Joint A/Joint B

(a) In the name(s) of S/o/W/o/D/o

.....

andS/o/W/o/D/o

.....

Resident of

.....

.....

(b) In case of minor, date of birth..... encashable by the
minor's Parent/guardian Shri/Smt.....

2. I nominate the person(s) named below who shall, on my death, receive payment.

Sr. No	Name of Nominee	Full Address	Date of Birth of minor Nominee
1			
2			
3			

3. I/We hereby agree to abide by the Kisan Vikas Patra Rules, 2014.

4. I/We hereby submit copies of following documents relating to my identification and proof of residence.

a).....

b).....

c).....

d).....

5. The Certificate(s) may be made over to we/our agent Authority No

Signature and address of
Witness of nomination
.....

Signature/thumb impression of investor
Date
.....
Address.....
.....
.....
.....
.....

Delete whichever is not applicable

Date.....
.....
.....

Received the Certificate(s)
Signature of investor/authorized agent

TO BE COMPLETED BY THE POST OFFICE/BANK

Serial Nos. of Certificate	Issue Price Rs.....	Date of encashment	Initials of the Post Master/Bank Official	Remarks like transfer, issue of duplicate etc. with initials
Total				

1. Know Your Customer (KYC) documents as mentioned at Sr. No. 4 above have been received.

Date:

Signature of Post Master
Round date stamp of the Post Master/
Signature and designation and stamp of Bank Officer

Form B

[See rule 9(1), 10(2)(c)]

Form of Application for Transfer of Certificate from Post Office to a Bank and Vice-versa

To,

The Post Master/Branch Manager,

.....

Sir,

I/We am/are a holder(s) of Kisan Vikas Patra issued by Post Office/Bank as per the details given below:-

1. Serial No.....
2. Date of Purchase.....
3. Denomination.....
4. Registration No.....
5. Serial No.....
6. Name of the Certificate holder

I/We request you to please transfer this Certificate(s) to your Post Office/ Bank at the earliest. Photo copies of the above mentioned Certificate(s) is/are enclosed with this application.

I/We submit following documents as per the applicable Know Your Customer (KYC) norms.

1. Identity proof
2. Residence proof
3. Copy of PAN card (if the amount is more than Rs. 50,000/-)

Specimen Signature of the Certificate holder

1.
2.
3.

Yours faithfully,

.....
 Name
 Address.....

Form C

[See rule 12(1)]

Form of Application for Nomination

(This form will be filled in by the holder(s) and submitted with the Certificates to the Post Master/Bank Official of the office where the Certificates stand registered).

To,

The Post Master/Branch Manager,

.....

Under provisions of rule 12 of the Kisan Vikas Patra Rules, 2014.

I/We.....the holder (s) of Kisan Vikas Patra Certificates detailed below, hereby nominate the persons mentioned below, who shall on my/our death, become entitled to the Certificate(s) and to be paid the sum thereon to the exclusion of all other persons. I/We hereby declare that I/We have not so far made any nomination in respect of these Certificates.

Sr. No.	Name of the nominee(s)	Full address	Date of birth of nominee in case of minor

2. As the nominee(s) at the serial number (s) above is/are minor(s), I/We appoint

Shri/Smt/

Kumari.....

(name and full address) as the person to receive the sum due thereto in the event of my/our death during the minority of the nominee(s).

3. The Certificates detailed below are enclosed.

Sl. No of Certificate(s)	Denomination	Date of birth	Office of Issue

Yours faithfully

Signataure (or thumb impression, if illiterate) of holder(s)

Address

.....

Witnesses –

1. NameAddress.....

2. Name Address

Note : In the case of illiterate holders, the witnesses shall be persons whose signature is known to the Post Office/ Bank.

Order of the Post Master/Bank Officer accepting the nomination

Date stamp of Post Office/Bank seal

Signature of Post Master/Bank Officer

Form D

[See rule 12(3)]

Form of application for cancellation or variation of nomination

(This form shall be filled in by the holder(s) and submitted with the Certificates to the Post Master/Bank Officer of the office where the Certificates stand registered)

To,

The Post Master/Branch Manager,

.....

.....

I/We the holder(s) of Kisan Vikas Patra detailed below hereby cancel the nomination previously made by me/us in respect of these Certificates and registered in your office under

No.....Dated.....

*In place of the cancelled nomination. I/We hereby nominate the person/s mentioned below, who shall on my/our death, become entitled to the savings Certificates and be paid the sum due thereof to the exclusion of all other persons.

Sl. No.	Name of the nominee(s)	Full address	Date of birth of nominee in case of minor

*To be filled in case of variation only

2. As the nominee(s) at the serial number(s)..... above is/are minor(s), I/We appoint Shri/Smt/Kumari..... (name and full address) as the person to receive the sum due thereon in the event of my/our death during the minority of the nominee(s).

3. The Certificates detailed below are enclosed.

Sl. No. of Certificates	Denomination	Date of issue	Office of issue

Address

.....

.....

.....

Yours faithfully,

Signature or thumb impression
(if illiterate) of holder(s)

Witnesses :

1. Name.....Address.....

2. Name.....Address.....

Note : In the case of illiterate holders, the witnesses shall be persons whose signatures are known to the Post Office/Bank.

Order of the Post Master/Bank Officer accepting the nomination.

Date stamp of Post Office/

Signature of Post Master/Bank Officer

Bank Seal

[F. No. 2/4/2014-NS-II]
Dr. RAJAT BHARGAVA, Jt. Secy.